आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 16/2021–22

राज्य सरकार –बनाम– बाल्मीकि चौधरी

–: आदेश :–

26.07.2022

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 1594/अप0शा0, दिनांक 07.04.2021 से तालझारी थाना कांड संख्या 106/2020 दिनांक 11.12.2020, धारा–379/175 भा0द0वि0 एवं 21(ए)/21(6) Mines & Mineral Development & Regulation Act 1957 & 7/9 The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Minings, Transportaion and Storage) Rules, 2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रक संख्या JH12B-9728 को लोड बालू सहित राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग की गई।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज दिनांक 10.12.2020 को थाना प्रभारी, तालझारी एवं सशस्त्र बल के जवानों के साथ तालझारी थाना अन्तर्गत क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन का औचक निरीक्षण हेतु निकले। तालझारी थाना से करीब 15 कि0मी0 उत्तर दिशा में मसकलैया फतेहपुर के पक्की सड़क पर जाँच हेतु जैसे ही पहुँचे तो देखा कि ट्रक संख्या JH12B/9728 खड़ी है, जिसपर बालू लोड है। गाड़ी का चालक जाँच टीम को देखते ही गाड़ी छोड़ कर भाग गया। जाँच के बाद पाया कि गाड़ी में लगभग 700 घनफीट बालु लोड है। घटना स्थल पर दो स्वतंत्र साक्षियों पु0अ0नि0 कैलाश कुमार, तालझारी थाना एवं स0अ0नि0 भुषण धोबी, थाना तालझारी के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए ट्रक संख्या JH12B/9728 को बालु सहित जप्त किया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा उनके पत्रांक 1404/एम0, दिनांक 11.12.2020 से ट्रक संख्या JH12B/9728 के चालक एवं मालिक तथा खनिज के क्रेता विक्रेता को प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में थाना प्रभारी, तालझारी द्वारा थाना कांड सं0–106/2020 दिनांक 11.12.2020 दर्ज किया गया।

विपक्षी लागातार अनुपस्थित है। विपक्षी के द्वारा उक्त थाना कांड में जप्त ट्रक संख्या JH12B/9728 एवं उस पर लोड बालू के संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 1594/अप0शा0, दिनांक 17.04.2021 से प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन संख्या JH12B/9728 अवैध खनन एवं परिवहन कार्य में संलिप्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त ट्रक संख्या JH12B/9728 एवं उसपर लदे बालू को **The Jharkhand Minerals (Prevention ofillegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश दिया जाता हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि ट्रक संख्या JH12B/9728 को थाना प्रभारी के उपस्थिति में नीलामी कर प्राप्त राशि

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	जिला नतारत में जमा करेंगे तथा जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी के उपस्थिति में उक्त वाहन पर लोड बालू को नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करेंगे। अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। 26/11/22 जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज। 26/11/22 जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज।	ज्ञापांक 470/ख0 06.12.2022

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 16:14:49 +05:30
Location: 192.168.0.141